

मुलाकात के बारे में सूचना

महानिदेशक कारागार हरियाणा के आदेश न. 29640-51 जी. आई/जी. 2 दिनांक 25-11-2001 के अनुसार कैदियों से मुलाकात वर्णमाला क्रमानुसार करवाई जाती है। विचारधीन बन्दी की मुलाकात सप्ताह में दो दिन तथा कैदी की मुलाकात सप्ताह में एक दिन करवाई जाती है। पहचान पत्र के बिना कोई मुलाकात नहीं होगी। पहचान के लिए निम्न में से कोई भी जरूर साथ लाएँ जैसे : राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसैंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, आर्म लाईसैंस व पैन कार्ड। प्लास्टिक की थैलियों को जेल के अन्दर नहीं जाने दिया जायेगा।

रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिन मुलाकात नहीं करवाई जायेगी

मुलाकात समय प्रातः 8.30 AM से सांय 2.00 PM / लिखने का समय प्रातः 8.30 AM से दोपहर 01.00PM

सोमवार से वीरवार	-	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		अ	ब	च,छ	द	ई	फ	ग	ह	इ	ज	क	ल
मंगलवार से शुक्रवार	-	M	N	O	P	Q	R						
		म	न	ओ	प		र						
बुधवार से शनिवार	-	S	T	U	V	W	X	Y	Z				
		स	त,ट	उ	व	व		य	ज				

नोट: रिश्वत लेना व देना दण्डनीय अपराध है। यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी रिश्वत की मांग करता है तो इसके बारे में जेल अधीक्षक/उपअधीक्षक जेल को सूचित करें।

आदेशानुसार

जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल-1, हिसार